न्यायालय राजस्व मंडल, म0प्र0, ग्वालियर

समक्षः एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण कमांक निग0 974–तीन/03 विरूद्ध आदेश दिनांक 2–5–13 पारित द्वारा अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन प्रकरण कमांक 640/2001–02अपील.

———

राजूबाई विधवा मीरालाल पालीवाल
निवासी कानड़ तहसील आगर
जिला शाजापुर ——— आवेदक

विरूद्ध

दुर्गाप्रसाद पिता जगन्नाथ जी पालीवाल
निवासी कानड़ तहसील आगर
जिला शाजापुर म.प्र. ——— अनावेदक

———

आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री जे. एस. जाधव ।

अनावेदक की ओर से अधिवक्ता श्री राहुल शर्मा ।

———

:: आदेश ::

(आज दिनांक 10–3–15 को पारित)

———

यह निगरानी अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन के प्रकरण कमांक 640/2001–02/अपील में पारित आदेश दिनांक 2–5–13 के विरूद्ध म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत पेश की गई है ।

2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदक द्वारा वसीयत नामा के आधार पर विचारण न्यायालय में फोती नामांतरण हेत आवेदन दिया, जो विचारण न्यायालय ने आदेश दिनांक 26–6–01 द्वारा स्वीकार किया । इस आदेश के विरूद्ध आवेदिका ने एस.डी.ओ. के समक्ष अपील पेश की जो उन्होंने अवधि बाह्य मानकर निरस्त की । इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त ने आलोच्य आदेश पारित करते हुए द्वितीय

अपील निरस्त की है । अपर आयुक्त के आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है ।

3/ प्रकरण में उभयपक्षों को सुनवाई दिनांक 29–1–15 को लिखित बहस करने हेतु 10 दिवस का समय दिया गया था । आवेदक की ओर से लिखित बहस पेश की गई है अनावेदक द्वारा आज दिनांक तक लिखित बहस पेश नहीं की गई है ।

4/ आवेदक अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया गया । यह प्रकरण वसीयत का है और मृतक भूमिस्वामी की ननद के पक्ष में वसीयत होने के आधार पर उसका नामांतरण विचारण न्यायालय द्वारा किया गया । इस आदेश को आवेदिका द्वारा इस आधार पर चुनौती दी गई कि वसीयत ना तो पंजीकृत है और ना ही स्टाम्प पर है तथा वसीयत साक्ष्य द्वारा सिद्ध नहीं की गई है । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदिका द्वारा प्रस्तुत अपील को अवधि बाह्य मानते हुए निरस्त किया गया । इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त ने आलोच्य आदेश पारित किया है । वसीयत के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय तथा विधि का यह मन्तव्य है कि वसीयत के साक्षियों में से एक के द्वारा उसे प्रमाणित कराया जाना चाहिए । इस प्रकरण में चूंकि वसीयत पर जो साक्षी हैं उनमें से एक ही साक्षी जीवित होने के कारण उसका साक्ष्य कराया गया है और उसने वसीयत को सिद्ध किया है । आवेदिका मृतक भूमिस्वामी की ननद है जो उत्तराधिकारी की श्रेणी में नहीं होने के कारण अपर आयुक्त द्वारा वसीयतनामे के आधार पर किए गए नामांतरण की पुष्टि करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की गई है । उनका आदेश औचित्यपूर्ण, न्यायिक एवं विधिसम्मत है जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी निरस्त की जाती हैं तथा अपर आयुक्त के आदेश स्थिर रखे जाते हैं ।

(एम. के. सिंह)
सदस्य,
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश,
ग्वालियर